



उद्योग संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

क्रमांक: 1/स्वरो/5(3-ब)/1/2021/ 221 - 275

भोपाल, दिनांक 07/01/2022

प्रति,

समस्त महाप्रबंधक,
जिला व्यापार उद्योग केंद्र
मध्य प्रदेश

विषय:- मंत्रि-परिषद से अनुमोदित मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना की मार्गदर्शिका।

सन्दर्भ:- एमएसएमई विभाग का पत्र क्र. एफ 2-1/2021/अ-तेहत्तर ।

.....

विषयांतर्गत शासन द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना की प्रक्रियाओं का निर्धारण कर जारी की गई मार्गदर्शिका आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

उपरोक्त मार्गदर्शिका में उल्लेखित सक्षम विभागीय अधिकारी से आशय महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र से है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

उद्योग आयुक्त
मध्यप्रदेश

क्रमांक: 1/स्वरो/5(3-ब)/1/2021/ 276 - 336

भोपाल, दिनांक 07/01/2022

प्रतिलिपि:-

- 1- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 2- संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय अरेरा हिल्स भोपाल की ओर कृपया समस्त बैंकों को उपरोक्त मार्गदर्शिका प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 3- संयुक्त संचालक उद्योग, समस्त परिक्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, डी. बी. मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उद्योग आयुक्त
मध्यप्रदेश

चौथी मंज़िल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462 004 (म.प्र.) फोन : 91-0755-2677988, 2677966(O)

फैक्स : 91-0755-2574009

ई-मेल : ic-mp@nic.in web : www.mpmsme.gov.in

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना (मार्गदर्शिका)

1. योजना का नाम : मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना
2. शासन आदेश दिनांक : 29/11/2021
3. योजना का प्रारंभ (Launch) दिनांक : 10/01/2022
4. योजना का उद्देश्य : योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये उन्हें स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त ऋण (Collateral Free Loan) उपलब्ध करवाना है।
5. योजना का क्रियान्वयन:
 - 5.1 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।
 - 5.2 योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
6. पात्रता:
 - 6.1 योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
 - 6.2 आवेदक:
 - 6.2.1 मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो।
 - 6.2.2 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
 - 6.2.3 न्यूनतम 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।
 - 6.2.4 आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय रुपये 12.00 लाख से अधिक न हो।(आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य अगर आयकर दाता है तो वह उनकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियां (Income Tax Returns) आवेदन के साथ संलग्न करेगा।)

6.2.5 आवेदक स्वयं किसी बैंक और अन्य किसी वित्तीय संस्था जैसे -Micro Finance Institutions (MFI), Non Banking Financial Company (NBFC), Small Finance Bank (SFB), Primary Agricultural Credit Society (PACS) इत्यादि का डिफाल्टर ना हो ।

6.2.6 आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही (Beneficiary) न हो।

6.2.7 सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

6.3 पात्र परियोजनाएं:

6.3.1 उद्योग (विनिर्माण-Manufacturing) इकाई के लिए राशि रुपये 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजनाएं।

6.3.2 सेवा (Service) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (Retail Trade) हेतु राशि रुपये 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाएं।

6.3.3 उपरोक्त समस्त प्रकार की परियोजनाएं जो Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए भी पात्र हों।

6.4 पात्र बैंक: योजनान्तर्गत आवेदन उन्ही पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किये जा सकेंगे, जो CGTMSE में पंजीकृत MLI (Member Lending Institution) हैं।

7. वित्तीय सहायता:

7.1 योजनान्तर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा योजना प्रारम्भ होने के उपरान्त वितरित ऋणों (Term Loan & Working Capital Loan) के सम्बन्ध में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), दिया जायेगा।

7.2 जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता Default/ NPA बना रहता है, उस अवधि के लिये कोई ब्याज अनुदान सहायता देय नहीं होगी।

7.3 ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में वार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी।

7.4 योजनान्तर्गत ऋण गारंटी (CGTMSE) शुल्क, प्रचलित दर पर, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में देय होगा।

8. आवेदन प्रक्रिया एवं आवेदन पत्रों का निराकरण:

- 8.1 आवेदक से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सहपत्रों सहित प्राप्त आवेदन, पात्रता इत्यादि के परीक्षण उपरान्त सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा सम्बंधित बैंक शाखा को प्रेषित किया जायेगा।
- 8.2 बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह (As per RBI Guidelines) में प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लिया जायेगा।
- 8.3 आवेदन यदि अपूर्ण है अथवा उसमें कोई सहपत्र संलग्न नहीं है, तो बैंक/ जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा तत्काल कारण सहित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदक तथा सक्षम विभागीय अधिकारी को सूचित किया जायेगा, जिसे आवेदक त्रुटि सुधार कर पुनः बैंक/जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को भेज सकेगा।
- 8.4 एक बैंक द्वारा आवेदन अमान्य (Reject) किये जाने पर आवेदक अन्य किसी बैंक में आवेदन कर सकेगा।
- 8.5 आवेदक द्वारा प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख से कम की परियोजना के लिए सामान्य परियोजना प्रतिवेदन (Simple Project Report) प्रपत्र-1 में (उद्योग/सेवा हेतु) अथवा प्रपत्र-2 में (व्यवसाय हेतु) तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित परियोजना राशि रुपये 10 लाख या अधिक है तो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।
- 8.6 आवेदन एक ही वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगा। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आवेदक को नया आवेदन करना होगा।
- 8.7 आवेदक का ऋण प्रकरण स्वीकृत किये जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा एक माह के भीतर ऋण वितरण प्रारम्भ किया जायेगा तथा पोर्टल पर इसकी प्रविष्टि की जायेगी।
- 8.8 उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय इकाई के लिए बैंक ऋण की गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE) के माध्यम से दी जायेगी एवं बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (Collateral Security) की मांग आवेदक से नहीं की जायेगी।

8.9 मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के सुचारु रूप से क्रियान्वयन, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं आदि विषयों की समीक्षा हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समीक्षा समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर अथवा आवश्यकतानुसार समीक्षा की जायेगी:-

1. कलेक्टर	अध्यक्ष
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3. आयुक्त, नगर निगम या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
5. जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
6. प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य
7. महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

टीप:-आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/ प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

8.10 निर्धारित वार्षिक वित्तपोषण के लक्ष्य के 1.25 गुना तक नये आवेदन बैंकों को अग्रेषित किये जायेंगे, जिनका पूर्ण उपयोग होने पर पुनः उक्त सीमा में और आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे | उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र. आवेदन प्राप्त किये जाने की सीमा को परिवर्तित करने के लिए सक्षम होंगे |

9. प्रशिक्षण: जिन हितग्राहियों ने पूर्व में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो उन्हें उद्यमिता विकास प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से दिया जायेगा।

10. वित्तीय प्रवाह:-

10.1 बैंक द्वारा ऋण वितरण दिनांक से एक वर्ष (मॉरेटोरियम अवधि सहित) पूर्ण होने पर बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान की राशि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्लेम की जायेगी।

(नोट*उपरोक्तानुसार ऋण वितरण दिनांक के पश्चात जिस माह में एक वर्ष पूर्ण हो रहा है, उस माह की अंतिम तारीख की स्थिति में बैंक द्वारा हितग्राही के ब्याज अनुदान की राशि पोर्टल के माध्यम से क्लेम की जायेगी।)

10.2 उपरोक्तानुसार बैंक द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक आधार पर अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान राशि (मॉरेटोरियम अवधि सहित), पोर्टल के माध्यम से क्लेम की जा सकेगी |

- 10.3 जिस अवधि में हितग्राही का ऋण खाता Default/ NPA रहता है, उस अवधि का उल्लेख पोर्टल में बैंक शाखा द्वारा दर्ज किया जायेगा तथा इस अवधि के लिए ब्याज अनुदान, बैंक शाखा द्वारा वार्षिक क्लेम में नहीं जोड़ा जायेगा।
- 10.4 ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE) के अन्तर्गत हितग्राही का गारंटी शुल्क अनुदान बैंक शाखा द्वारा यथा समय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से क्लेम (अधिकतम 7 वर्षों तक, मोरेटोरियम अवधि सहित) किया जायेगा।
- 10.5 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बैंक शाखाओं के माध्यम से ऑनलाइन पात्र हितग्राहियों के ब्याज अनुदान अथवा CGTMSE अनुदान की राशि को हितग्राही के ऋण खाते में (टर्म लोन अकाउंट या वर्किंग कैपिटल लोन अकाउंट जिसे संबंधित बैंक शाखा उचित समझे) सीधे हस्तांतरित (DBT) किया जायेगा।
- 10.6 अनुदान दावों के भुगतान (Subsidy Claim-Settlement) के लिये राज्य स्तरीय मुख्यालय पर नोडल बैंक में संधारित पूल खाते में अधिकतम राशि रुपये 25 करोड़ अग्रिम तौर पर उद्योग संचालनालय म.प्र. द्वारा जमा की जायेगी।
- 10.7 पोर्टल के माध्यम से अनुदान भुगतान के लिये महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अधिकृत होंगे।

11. वार्षिक लक्ष्य निर्धारण:

- 11.1 योजनान्तर्गत प्रावधानित बजट अनुसार वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे।
- 11.2 उद्योग संचालनालय, म.प्र. द्वारा बैंको के जिलेवार वार्षिक वित्तीय लक्ष्य, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वय से निर्धारित किये जाकर बैंकों/ जिला कार्यालयों को संसूचित किये जायेंगे।

12. विविध:

- 12.1 योजना अंतर्गत भागीदारी (Partnership) के प्रकरण भी पात्र होंगे, परन्तु समस्त भागीदारों को योजनान्तर्गत आवेदक के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। भागीदारों को सहायता उद्यम के मान से दी जायेगी।
- 12.2 योजना की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण हेतु उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र., सक्षम होंगे।

- 12.3 योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु क्रय किये गये समस्त प्रकार के वाहनों का RTO पंजीयन व्यवसायिक श्रेणी में करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा हितग्राही को शासन की वित्तीय सहायता (ब्याज अनुदान/ CGTMSE शुल्क) प्राप्त नहीं होगी।
- 12.4 योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय से संबंधित किसी गतिविधि पर उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र., द्वारा उचित कारण होने पर रोक लगाई जा सकती है अथवा किसी गतिविधि को योजना से जोड़ा सकता है।
- 12.4.1 योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय के उद्यम स्थापित किये जाने का उद्देश्य है, अतः कृषि आधारित/अनुषांगिक गतिविधियां के प्रकरण स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जैसे- पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि।
- 12.5 बैंक द्वारा परियोजना स्वीकृत किये जाने पर वह हितग्राही से नियमानुसार अंशदान (मार्जिन मनी) जमा करा सकेगा।
- 12.6 योजनान्तर्गत हितग्राही के ब्याज अनुदान अथवा CGTMSE शुल्क अनुदान की अंतिम किस्त भुगतान होने के पूर्व यदि हितग्राही का ऋण खाता (टर्म लोन अकाउंट तथा वर्किंग केपिटल लोन अकाउंट दोनों) बंद हो जाता है तब ऐसी स्थिति में अनुदान राशि का भुगतान महाप्रबंधक द्वारा पोर्टल में दर्ज हितग्राही के बचत खाते अथवा चालू खाते में किया जा सकेगा।
- 12.7 हितग्राही का खाता Default/ NPA होने की स्थिति में Default/ NPA होने से पूर्व की देयताओं (ब्याज/ CGTMSE अनुदान) का भुगतान बैंक के "ऑफिस अकाउंट" में किया जा सकेगा ताकि सम्बंधित बैंक हितग्राही के लोन खाते में इस राशि को समायोजित कर सके।
- 12.8 मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों में, पात्र होने पर स्वीकृति की दशा में वितरित किये जाने वाले ऋण को बैंक शाखाएँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजनान्तर्गत भी कनवर्ज (Converge) कर सकती हैं।

13. परिभाषाएँ:

- 13.1 पूंजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है।
- 13.2 परियोजना में उपयोग किये जाने वाले प्लांट एवं मशीनरी/उपकरण का मूल्य पूंजीगत लागत है। परियोजनान्तर्गत भूमि का मूल्य शामिल नहीं होगा तथा भवन में निवेश, मशीन/उपकरण लागत के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

13.3 CGTMSE से अभिप्राय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड फार माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राईजेस से है।

13.4 परिवार से आशय:

13.4.1 आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है, जिन पर वह आश्रित है, अथवा

13.4.2 आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से है।

13.5 बैंक से आशय पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है, जो CGTMSE अन्तर्गत पंजीकृत MLI (Member Lending Institution) हैं।
